अफ्रीकन स्वाइन फीवर संक्रमित शूकर वंशीय पशुओं के आवागमन एवं परिवहन पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामलों को गंभीरता से लेते हुए पशुपालन विभाग ने प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में ब्लॉक स्तरीय दलों का गठन किया है। संक्रमित क्षेत्र (इंफेक्टड जोन), निगरानी क्षेत्र (सर्विलेंस जोन) एवं मुक्त क्षेत्र (फ्री जोन) के आधार पर गठित इन दलों द्वारा संक्रमित एवं शूकर वंशीय पशुओं के विचरण स्थल पर पहुंच कर सर्वेक्षण कर रोग की रोकथाम एवं निदान के लिए हर संभव कार्यवाही की जा रही है। गठित दलों द्वारा संक्रमित एवं मृत शूकरों के सैंपल एकत्र कर अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग की पुष्टि के लिए राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, निषाद भोपाल भिजवाए जा रहे हैं। रोग की आक्रामकता एवं शूकर पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. भवानी सिंह राठौड़ ने रोग की रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये हैं।

इस सम्बंध ने विस्तृत जानकारी देते हुए डॉ. राठौड़ ने बताया कि रोग के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए विभागीय अधिकारियों को अलर्ट जारी कर शूकर वंशीय पशुओं को इस रोग से बचाने एवं पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए प्रत्येक ज़िले के प्रभावित क्षेत्रों में रोग सर्वेक्षण, रोग निदान, प्रतिबंधित/मुक्त क्षेत्र चिन्हित कर 'क्षेत्र विशिष्ट कार्यवाही' निष्पादित की जायेगी।

अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए प्रत्येक ज़िले के प्रभावित क्षेत्रों में रोग सर्वेक्षण के लिये पशुपालन विभाग की टीम रवाना हुई।

उन्होंने कहा कि शूकर वंशीय संक्रमित पशुओं एवं संपर्क में आये अन्य शूकरों का वैज्ञानिक रीति से यूथेनाइज, क्षेत्र का विसंक्रमण, वेक्टर कण्ट्रोल, जैव कचरे, पशु आहार एवं अन्य कचरे आदि का निस्तारण किया जाएगा ताकि रोग पर नियंत्रण किया जा सके। वहीं जंगली शूकरों में रोग प्रकोप नियंत्रण के लिए वन विभाग एवं अन्य सम्बंधित विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित कर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि शूकर वंशीय पशुओं की असामान्य मृत्यु एवं अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि के सम्बन्ध में प्रभावित क्षेत्र के जिला प्रशासन, सम्बंधित ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिकारी एवं स्थानीय निकाय व पंचायतों को अवगत करवा कर अपेक्षित सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग पशुपालकों के हितों के लिए समर्पित है। किसी भी प्रकार की मदद विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर ली जा सकती है। साथ ही पशुपालक भी पशुओं में असामान्य स्थिति होने पर विभाग के अधिकारियों से तुरंत संपर्क करें ताकि राज्य के पशुओं को समय रहते इस तरह के रोगों से निदान पहुंचाया जा सके।

- **'पशुपालकों की सहायता के लिए विभाग 24 घंटे समर्पित, प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर त्वरित कार्यवाही दल गठित'**

पेपर लीक व बेरोजगारी से नाराज बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने सुबह से सूर्यास्त तक सेंट्रल पार्क में सरकार के विरोध में लगातार दौड़ लगाई।

'जनवरी तक 5573 करोड़ का राजस्व संग्रहण'

जयपुर, (का.सं.)। राज्य का माइंस विभाग राजस्व अर्जन में इस साल नया रेकार्ड कायम करने जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि जनवरी, 23 तक विभाग द्वारा 5572 करोड़ 96 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है जो गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में करीब 836 करोड़ रु. अधिक है जबकि 2020-21 की पूरे वित्तीय वर्ष के राजस्व संग्रहण 4966 करोड़ 39 लाख से 606 करोड़ रु. से भी अधिक का राजस्व संग्रहित किया है।

एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष में 6395 करोड़ 75 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया था जबकि इस साल सात हजार करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित कर नया रेकार्ड बनाया जाएगा। राजस्व बढ़ोतरी के लिए विभाग द्वारा समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी राजस्व की छीजत रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए विभागीय मोनेटरिंग व्यवस्था को मजबूत करने और नियमित समीक्षा के परिणाम स्वरुप राजस्व बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता मिली है। विभाग द्वारा योजनावद्ध तरीके से अवैध खनन व परिवहन गतिविधियों पर कार्यवाही में तेजी लाई गई। नियमित मोनेटरिंग, दिशानिर्देश के क्रियान्वयन व आपसी समझ व समन्वय से लक्ष्यों से अधिक राजस्व अर्जित किया जा सका है।

- **एसीएस माइंस ने अधिकारियों से कहा जितना अधिक फील्ड से जुड़ेंगे उतने ही मिलेंगे बेहतर परिणाम**

एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल सोमवार को सचिवालय में निदेशक माइंस संदेश नायक व अधिकारियों के साथ माइंस विभाग की राजस्व वसूली और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने रेकार्ड राजस्व अर्जन के लिए विभाग के अधिकारियों व कार्मिकों को बधाई देते हुए बताया कि टीम भावना व परस्पर समन्वय से यह रेकार्ड राजस्व संग्रहण हो सका है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जितना अधिक फील्ड से जुड़े रहेंगे उतने ही अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, राजस्व बढ़ेगा, अवैध गतिविधियां रुकेगी और वैध खनन गतिविधियों को बढ़ाया मिलेगा।

खोया पाया

आंनद भवन निर्माण सहकारी समिति का प्लॉट नं.45 पटेल नगर, अजमेर रोड के ओरिजनल दस्तावेज कहीं खो गए है। मिलने पर सूचित करें। वैभव साबू-9829062188

जलमहल हा.कॉ.सो.लि. जयपुर की योजना विश्वकर्मा नगर-I, II के भूखण्ड सं.-93 की मूल लीजडीड, स्टाम्प, साईट प्लान कहीं गुम हो गये है। मुकेश पाण्डया मो.8696934120

PUBLIC NOTICE

This is to inform to all, that we Bhur Singh Rajpurohit, Ranu Singh Rajpurohi & Sawai Singh all S/o Prem Singh Rajpurohit being a Legal owner of immovable property being Plot No. 36 situated at Khasra No. 46, 43/1, 44, 41/1045, 42/1046, 39/984, 39/984/1346, 41, 42, 43/1047, 44/1048, 32/1042, 33, 51, 54 and 40/1044, 51, 54 and 40/1044, Village Syaau, Tehsil Chomu, District Jaipur (Hereinafter refer as the said properties) That we are willing to finance against the said properties have clear and marketable title, interest without any encumbrances. That Bhur Singh Rajpurohit & Shri Ranu Singh Rajpurohi & Shri Sawai Singh has declared Sale deed dated 18.10.2012 has been lost and a Found and lost information report So No. 10/2016 Rajasthan Police Camplaint by Sharwan Kumar Jat S/o Baksha Ram Jat on dated 01.02.2019 regarding missing of Sale deed dated 18.10.2012, which was registered in SR-Chomu, Jaipur on dated 18.10.2012 Book No. 1, Vol. No. 423 on Page No. 101, Reg. No. 2012008301, Add. Book No. 1, Vol. No. 1473 page No. 1 to 12. and therefore not presented to STATE BANK OF INDIA SMS Highway Branch, Chaura Rasta, Jaipur and also declared that no mortgage, charge, lien, encumbrances, over the said properties against the lost Sale Deed has been created, Therefore any person, bank, firm, institution etc. having objection against said transaction or they having right, interest, share, claim, charge, lien, relation, encumbrances, agreement, mortgage, hypothecation easements evidence etc. or other rights, claim they should right the undersigned along with documentary evidence within 7 days from the publication of this notice. On failure of the same after expiration of the period of notice, it will be considered that there is no right or claim of any body and if it there they have waived the same and STATE BANK OF INDIA Highway Branch, Chaura Rasta, Jaipur shall finance against the said property. Thereafter no dispute complains of objection will be entertained this may be noted by the concerned.

Bhur Singh Rajpurohit
Ranu Singh Rajpurohi
Sawai Singh

नाम परिवर्तन

I, Suresh Singh No.3001300W S/o Late Ratan Singh R/o Plot No.-35, Balaji Dham Niwaru Link Road, Govindpura, Jhotwara Jaipur Rajasthan 302012, In Service record my Son's Name Lokendra Singh Tanwar is wrongly recorded. Correct is Lokendra Pratap Singh Tanwar vide affidavit dated 27.01.2023 Jaipur Court.

I have changed my name from Nazmuz Sahar to Najmussahar In future I have called Najmussahar W/o Ateeg Ahmed. 757 Bisatiyon Ka Mohalla, Ram Ganj Bazar, Jaipur-3

मैंने अपना नाम ममता कुमारी सोनी से बदल कर ममता सोनी रख लिया है। भविष्य में मुझे ममता सोनी पत्नि योगेश सोनी, निवासी 100, सुन्दर विहार कालवाड़ रोड, झोटवाडा, जयपुर के नाम से जाना जाये।

मेरा नाम कुछ दस्तावेजो में आशा चौहान दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम आशा कंवर है अब मेरे को भविष्य में आशा कंवर के नाम से ही जाना व पहचाना जावें। पत्ता- प्लाट नं.-127 मित्र नगर जोडी फार्म के पास मार्ग नं.- 4 झोटवाडा जयपुर

सभी राज्यों में बनाए गए राजस्थान उद्योग मित्र

जयपुर, (का.सं.)। मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन के संगठन को तेजी से विस्तार देने के लिए संस्था के संस्थापक महासचिव सीए विजय गर्ग ने बताया कि, मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में राजस्थान उद्योग मित्र बनाए गए हैं। पूरी दुनिया में, मारवाड़ी शब्द को उद्यमिता की पहचान माना जाता है एवं मारवाड़ीयो द्वारा भारत के सभी राज्यों एवं विदेशों में उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान रहा है एवं मारवाड़ीयो ने अपनी विशेष पहचान बनाई है। इसी दिशा में राजस्थान में तेजी से औद्योगिक विकास के लिए, राजस्थान के आर्थिक विकास को गति देने के लिए, राजस्थान के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एवं राजस्थान को देश- विदेश के मानचित्र पर औद्योगिक स्टेट का दर्जा देने के लिए, मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन विशेष रूप से कार्य कर रहा है।

मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन ने राजस्थान में तेजी से औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए प्रवासी राजस्थानीओं को जो कि औद्योगिक नीतियों, कर प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन, टैक्स कंसलटेंट ,इंडस्ट्री कंसलटेंट आदि निपुण है एवं उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेट्री, टैक्स कंसलटेंट, आईसीसीडब्ल्यू, कॉस्ट अकाउंटेंट आदि की डिग्रियां एवं अनुभव हो उनको राजस्थान उद्योग मित्र के रुप में नियुक्त किया गया है। यह सभी राजस्थान उद्योग मित्र, राज्य सरकार को औद्योगिक एवं व्यापारिक नीतियों से संबंधित समय-समय पर सुझाव देंगे एवं वास्तविक रूप से राजस्थान में कैसे निवेश के और अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, यहां के युवाओं को कैसे रोजगार मिल सकता है और प्रदेश का आर्थिक विकास तेजी से कैसे हो सकता है इस संबंध में अपनी राय मशवरा देंगे एवं प्रवासी राजस्थानी यों को प्रदेश में उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आकर्षित करेंगे।

मोहन भागवत के ब्राह्मण विरोधी बयानों की घोर भर्त्सना की

जयपुर (का.सं.)। गौड़ ब्राह्मण महासभा राजस्थान के युवा प्रदेश अध्यक्ष पंकज पचलंगिया एडवोकेट ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ब्राह्मण विरोधी बयानों की भर्त्सना की मोहन भागवत आर.एस.एस. प्रमुख के नाते ब्राह्मण समाज को जातिवाद फैलाने का आरोप लगाते हैं तुरंत माफी मांग कर अपने बयानों को वापस ले ब्राह्मणों ने कभी ना जातिवाद किया ना कभी जातिवाद फैलाई इस देश के अनेको प्रधानमंत्री व देश के आजादी के समय अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से थे उसके बावजूद भी कभी समाज के राजनेताओं ने न परिवारवाद वह जातिवाद किया ,हमेशा सर्व जाति को साथ लेकर सभी के हितों के लिए ब्राह्मण समाज तत्पर रहा है

आर.एस.एस. का असली चेहरा मोहन भागवत के सामने के माध्यम से आ गया और यह सिद्ध है आर एस एस का राजनीतिकरण हो चुका है। पंकज पचलंगिया ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से छटपटा कर आर. एस. एस. ने अपना असली चेहरा आम जनता के सामने मोहन भागवत के बयान के माध्यम से पेश किया है

यदि आर.एस.एस. मोहन भागवत के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती तो तुरंत मोहन भागवत को पद से हटाए। पंकज पचलंगिया एडवोकेट ने बताया कि ब्राह्मण विरोधी बयान का व्यापक असर पूरे हिंदुस्तान में होगा तुरंत मोहन भागवत को माफी मांगनी होगी।

रेल मंत्री को देवदर्शन के शिलान्यास करने राजसमंद आने का न्यौता दिया

जयपुर, (का.सं.)। सांसद दीया कुमारी के नेतृत्व में राजसमंद जिले के जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के एक दल ने दिल्ली के रेल भवन में केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर मावली मारवाड़ आमान परिवर्तन के प्रथम फेज में नाथद्वारा से देवगढ़ तक के लिए 968.92 करोड़ की स्वीकृति हेतु आभार व्यक्त किया।

- **नाथद्वारा से देवगढ़ तक ब्रॉडगेज हेतु 968.92 करोड़ की स्वीकृति पर जताया आभार**

दल की भावनाओं को केंद्रीय मंत्री वैष्णव के समक्ष रखते हुए सांसद दीया कुमारी ने कहा की 8 - 9 दशक की लंबी प्रतीक्षा को पूर्ण कर क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं को जो उपहार आपने दिया है उससे सभी प्रसन्न है। मोदी सरकार के प्रति जनता अपनी सद्भावनाएं व्यक्त करती है। क्षेत्र की जनता अपेक्षा रखती है की प्रथम चरण की घोषणा की विधिवत शुरुआत करते हुए जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण कर दूसरे चरण की शुरुआत की जाए।

वैष्णव ने कहा कि रेल सेवाओं का विस्तार करके ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है और यह सब पी.एम. मोदी के नेतृत्व के कारण संभव हो पा रहा हैं जो बारीकी से एक एक बात का निरीक्षण करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा की जल्दी ही प्रथम चरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आभार ज्ञापित करने दिल्ली पहुंचे करीब 50 कार्यकर्ताओं के दल ने केंद्रीय मंत्री वैष्णव को प्रभु श्रीनाथ जी का छवि चित्र भेंट कर पान प्रसाद गुलदस्ते और इकलाई के साथ भावपूर्ण स्वागत सम्मान करते हुए भारत माता, श्रीचार भुजानाथजी, श्रीद्वारकाधीश और श्रीनाथजी, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जयकारे के साथ राजसमंद आकर देवदर्शन के साथ शिलान्यास करने का न्योता दिया।

सांसद दीया कुमारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में मिले।

सोमवार को एक नया संक्रमित मिला

जयपुर। प्रदेश में सोमवार को करोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है। इस दौरान एक और मरीज के ठीक होने से एक्टिव केस 15 पर ही बने हुए हैं।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में जयपुर में एक नया संक्रमित मालवीय नगर में मिला है। इससे पहले राज्य में रविवार को भी एक ही मरीज पाया गया था। इधर आज जयपुर में एक नया संक्रमित मिलने से एक्टिव केस बढ़कर 5 हो गए हैं।

प्रदेश में सोमवार को केवल एक संक्रमित के ठीक होने से एक्टिव केस 15 पर ही बने हुए हैं। इनमें भरतपुर में 6, जयपुर में 5 व उदयपुर में 3 तथा अलवर में एक मामला है। राज्य में सोमवार को करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 9654 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में आज 5 हजार 217 कोविड के टीके लगाये गये है।

नौ लोगों पर बालानंद मठ की संपत्तियां हड़पने का आरोप

जयपुर, (का.सं.)। राजधानी जयपुर के चांदपोल बाजार में पुरानी बस्ती स्थित बालानंदजी के मठ के महंत महेशदास ने नाहरगढ़ थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया है। इसमें 9 लोगों पर फर्जी वसीयत बनाकर मठ की संपत्तियों को हड़पने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अब इस केस की जांच नाहरगढ़ थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार कर रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक महेश दास ने रिपोर्ट में बताया कि वह पिछले 35 वर्षों से बालानंद के मठ में सेवा पूजा एवं प्रबंधन सहित सभी कार्य संचालित कर रहा है। वह मठ के पूर्व महंत लक्ष्मणनंदाचार्य जी का चेला है।

महंत लक्ष्मणदास ने अपने देहांत से पहले महेशदास के पक्ष में वसीयत 9 अक्टूबर 22 को तैयार की, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य महेशदास को अपना चेला एवं उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 31 अक्टूबर 22 को मठ के महंत लक्ष्मणनंदाचार्य जी के देहांत के बाद 27 नवंबर 22 को मठ से जुड़े लोगों के बीच चादर पोशी की रस्म अदा की गई जिसमें महेशदास को महंत घोषित किया गया। इसके बाद रिपोर्ट में दर्ज आरोपीगणों ने मिलकर के एक और फर्जी वसीयत तैयार की और बालानंद मठ की संपत्तियों पर कब्जा करने का प्रयास किया। पीड़ित महंत महेशदास ने बताया कि आरोपियों ने जो फर्जी वसीयत तैयार की है वह भी 9 अक्टूबर 2022 की है, लेकिन उसमें ना तो दिवंगत महंत लक्ष्मणदास के हस्ताक्षर हैं,ना उनकी आयु सही लिखी गई है। महंत महेशदास का आरोप है कि इसके अलावा फर्जी वसीयत लक्ष्मणनंदाचार्य द्वारा तैयार नहीं कराई गई बल्कि किसी चेला रामशंकर के द्वारा तैयार कराई गई है।

अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पुलिस विभाग में अनिवार्य एफ.आई.आर., स्वागत कक्ष सहित अन्य नवाचार किए गए हैं।

गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षकों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठित अपराधों के खिलाफ विशेष अभियान आक्रामक रूप से जारी रखें। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर और अपराधियों को फोलो एवं समर्थन करने वालों, आश्रय और वित्तीय सहायता प्रदान करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने जेल में अपराधिक तत्वों के माध्यम से संचालित सक्रिय गिरोहों के खिलाफ विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने वाली कोई भी घटना किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।